रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1994/फाल्गुन 18, 1915

No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1994/PHALGUNA 18, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1994

सा.का.नि. 311 (अ) :—माल के बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का नाम बहुविध परिवहन प्रलेख नियम, 1994 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 से है ।

(ख) "प्रलेख" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित प्रलेख से है ।

(ग) इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द तथा ऐसी अभिव्यक्तियां जिनकी इसमें परिभाषा नहीं दी गई है लेकिन वे अधिनियम में परिभाषित हैं, का इस नियम में भी क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है ।

3. बहुविध परिवहन के लिए संविदा

परेषक और बहुविध परिवहन प्रचालक, बहुविध परिवहन के लिए संविदा पर सहमत होने तथा बहुविध परिवहन प्रचालन द्वारा माल को अपने चार्ज में लेने के बाद वह एक ऐसा प्रलेख जारी करेगा जिसका एक नमूना केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी विशेष अथवा सामान्य आदेश से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए।

[पीटी–11023/6/86–पी टी .]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 1994

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (No. 28 of 1993) the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT : (1) These rules may be called the Multimodal Transport Document Rules, 1994. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS : In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Multimodal Transportation of Goods Act, 1993.

(b) "document" means the Multimodal Transport Document referred to in Section 7 of the Act.

(c) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. CONTRACT FOR MULTIMODAL TRANSPORTATION

Where the consignor and the Multimodal Transport Operator have entered into a contract for the Multimodal Transportation and the Multimodal Trans-Port Operator has taken charge of the goods, he shall issue a document, a model of which may be prescribed by the competent authority by a Special or General Order, with the approval of the Central Government.

[PT-11023|6|86-PT]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994